अध्याय–1

बौद्धिक संपदा

Intellectual Property

भारतीय सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है यह बात सभी लोग मानते है। उन सभ्यता ने दुनिया को धर्म की संकलपना, धर्म धारित जीवन प्रणाली, अनेकानेक मूलगामी सत्यों का चिंतन, मानवीय विकास के भौतिक व आध्यात्मिक साधनो का विचार आदि विषयों के बारे मे एकात्मक चिंतन प्रदान किया है।

इस सभ्यता द्वारा प्रदान बौद्धिक संपदा के विभिन्न क्षेत्रो में भी हम भली–भाँति परिचित है। यथा भाषा शास्त्र व व्याकरण, संस्कृत साहित्य, भारतीय संगीत व नृत्य, भारतीय कला कौशल क चित्रकला भारतीय मंदिर व दुर्ग–प्राकार शास्त्र, आयुर्वेद व योग शास्त्र, खगोल व ज्योतिषशास्त्र, इत्यादि।

किन्तु प्राचीन भारत में कृषि, जल–सिंचन, नौका अग्निवान शास्त्र, यंत्र विज्ञान, विज्ञान शास्त्र, शिल्प शास्त्र, स्थापत्य शास्त्र, धातु शास्त्र, आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी हम काफी प्रगति पथ पर थे।

भारत के वैदिक काल से ही वैज्ञानिक अवधारणाएं मजबूत रही है जिसमे WTO की आधुनिक व्यक्तिक अधिकारो के विपरित प्रत्येक व्यक्ति को हमारे यहाँ महत्व दी गई। गत 2–3 शाताब्दियो से भारतीय व पाश्चात्वय अन्वेषको ने प्राचीन भारतीय शास्त्री के गहरे अध्याय पश्चात तथा पाली–प्राकृति–संस्कृत ग्रंथो के अध्यापन व अन्वेष्ण के बाद विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में भी प्राचीन भारतीयो के अग्रसर होने की पुष्टि की है।

यथा– गणित में अंक व शून्य की खोज, पायथागोरस सिद्धांत का भारतीय गणितज्ञ बोधापन द्वारा पूर्व में निष्पादन व अवकलन गणित की संकलपना।

कृषि में गेहू, बाली, कपास का उत्पादन गौमय का खाद, हल व अन्य कृषि उपयोगी उपकरणो का निर्माण, वस्त्र उद्योग के लिए चरखा उपकरणों का निर्माण, भूगर्भ में पानी, खनिज रत्नमणी आदि का शोधन जस्ता आदि धातुओ का शुद्धिकरण आदि।

बौद्धिक संपदा दूसरे तरह की भौतिक संपदाओं जैसे घर, मकान, जयदाद की तरह एक पूंजी है, जो मनुष्य के मस्तिष्क के बौद्धिक पटलों के अभ्यास की उपज से प्राप्त होती है। घर, मकान, जयदाद नामक भौतिक संपदा की तरह जैविक संपदा को भी खरीदा व बेचा जा सकता है। लाइसेंस कर सकते है। इसका आदान–प्रदान किया जा सकता है या इसे सम्मानपूर्वक भेंट के तौर पर भी दिया जा सकता है।

आधुनिक बौद्धिक संपदा पद्धति का मूल 15वी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा में उदघृत है जबकि भारतीय परिपेक्ष्य में बौद्धिक संपदा स्वयंमेव में व पारिभाषित है क्योकि हमारा प्राचीन साहित्य, ज्ञान का विशाल भंडार है।

बौद्धिक समस्या पद्धिति का सामाज्य केवल विज्ञान के उच्च R&D संस्थानो, तकनीकी क्षेत्रो तथा अर्थिक रूप से सम्पन्न राष्ट्रों तक ही सीमित नही है बल्कि इसमें व्यापार पद्धति, कला, साहित्य, मनोंरजन आदि क्षेत्रो का सामावेश किया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार वे, अधिकार है जो व्यक्तियो को उनके बौद्धिक सृजन के लिए प्रदान किये जाते है। ये रचनाकार को एक निश्चित समय के लिए उसकी रचना के इस्तेमाल का अधिकार प्रदान करते है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवंर्धन विभाग द्वारा प्रशासित है।

मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह अविष्कारों और नई रचनाओ को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारो पर उसका पूरा अधिकार भी है; लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यही से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारी की बहस प्रारंभ होती है। यदि हम भौतिक रूप से कोई रचना करते है और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है तो यह रचनाकार के अधिकारो का स्पष्ट हनन है।

जब दुनिया में बहस तेज हुई कि कैसे बौद्धिक तथा अधिकारो की रक्षा की जाए तब सयुक्त राष्ट्र के एक अभिकरण विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (Word Intellectual Property Organization- WIPO) की स्थापना की गई है। इस संगठन के प्रयासों से ही बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व को प्रमुखता प्राप्त हुई।

इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियो को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अन्तर्राष्ट्रीय संधियां आती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस मनाया जाता है।

बौद्धिक सम्पदा : अर्थ और प्रकृति

(Intellectual Property: Meaning and Nature)

''सम्पदा'' शब्द ''सम्पत्ति'' का समानार्थी है। अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं में साम्पत्तिक अधिकार एक विशिष्ट प्रकार का होता है, इसलिये इनके सम्बन्ध में ''सम्पति'' शब्द के स्थान पर ''सम्पदा'' शब्द अधिक प्रचलन में है। सामान्य अर्थों में बोद्धिक सम्पदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है।

यह व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। यह ज्ञान, विचार और प्रतिभा की बाह्य अभिव्यक्ति है। लेखकों की रचनाएं और अविष्कारकों के अविष्कार बौद्धिक सम्पदा के मुख्य विषय हैं। विस्तृत अर्थ में, बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत जहाँ एक ओर साहित्यिक, नाट्य, संकल्पनाओं, व्यवहार–ज्ञान एवं अन्य रचनात्मक कल्पनाओं का सामावेश होता है, जो ऐसे विचारों, संकल्पनाओं आदि को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।

बौद्धिक सम्पदा की परिभाषा

(Difinition of Intellectual Property)

(1) **जेरेमी फिलिप्स के अनुसार**–सामान्य अर्थों में बौद्धिक सम्पदा से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से होता है जो व्यक्ति द्वारा बुद्धि के प्रयोग से उत्पन्न होती है।

विस्तृत अर्थ में, बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत जहाँ एक ओर विचारों, संकल्पनाओं, व्यवहार ज्ञान एवं अन्य रचनात्मक कल्पनाओं का समावेश होता है। वहीं दूसरी ओर साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक या ऐसे यान्त्रिक अभिव्यक्तियों का भी समन्वय होता है, जो ऐसे विचारों, संकल्पनाओं आदि को मूर्त रूप प्रदान करते हैं।

(2) **सामण्ड के अनुसार**– ''वे अभौतिक वस्तुएँ बौद्धिक सम्पदा हैं जो विधि द्वारा मानव प्रवीणता और श्रम के अभौतिक उतपाद के रूप में मान्यता प्राप्त करती हैं।''

(3) **ब्लैक स्टोन की पुस्तक कमेन्टरीज आन दि लॉ ऑफ इग्लैण्ड के अनुसार**– ''अन्य मूर्त सम्पत्तियों की भाँति बौद्धिक सम्पदा, जिसका स्वरूप अमूर्त होता है, को राज्य ने विधि के माध्यम से सम्पत्ति की सामान्य व्याख्या के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की है। ''जब कोई व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण क्षमता के प्रयोग से किसी मौलिक कृति का उत्पादन करता है तो वह अपनी इच्छानुसार उस मौलिक कृति के व्ययन का अधिकारों पर अतिक्रमण प्रतीत होता है।''

अतः बौद्धिक सम्पदा ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो अभौतिक एवं अर्मूत होती है, जिनको विधि अधिकारों का विषय–वस्तु मानती है। यह व्यक्ति के बौद्धिक श्रम से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। उदाहरणार्थ

लेखक की रचनाएँ और आविष्कारकों का अविष्कार बौद्धिक सम्पदा है।

प्रकृति (NATURE)

बौद्धिक सम्पदा अभौतिक, अर्मूत निगमित प्रकृति की होती है। इसके अन्तर्गत भौतिक या मूर्त सम्पत्तियों से पृथक अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं से सम्बन्धित ऐसे हित एवं अधिकार आते हैं, जिन्हें विधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और उनका संरक्षण किया जाता है। बौद्धिक सम्पदा प्रत्येक दशा स्वामी द्वारा रचित अथवा उत्पादित कुछ निश्चित अभौतिक वस्तु के बारे में अधिकारों के एक समूह द्वारा अस्तित्व में आती है। अभौतिक वस्तुओं को बौद्धिक सम्पदा के रूप में मान्यता इस आधार पर प्रदान की गई है कि जो कुछ कोई व्यक्ति अपने बुद्धि, कौशल, श्रम एवं पूंजी के प्रयोग से उत्पन्न करता है, उसका होता और व्यक्ति का बौद्धिक अभौतिक उत्पाद इतना ही मूल्यवान होता है, जितनी कि कोई भौतिक सम्पत्ति। इसलिये विधि द्वारा बौद्धिक सम्पदा के बारे में उन व्यक्तियों को साम्पत्तिक अधिकार प्रदान किया जाता है, जो उसकी रचना करता है या उसका उत्पादन करता है और इन अधिकारों के अतिलंघनकारी के विरूद्ध बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित अधिनियमों में विधिक उपचार उपबंधित किये गये हैं।

बौद्धिक सम्पदा और अन्य प्रकार की सम्पदा में मूलभूत अन्तर यह है कि बौद्धिक सम्पदा का केन्द्र बिन्दु मस्तिष्क का उत्पाद होता है न कि स्वयं उत्पादन। उदाहरण के लिये, प्रतिलिप्यधिकार के अन्तर्गत पुस्तक सम्पदा नहीं होती है बल्कि बौद्धिक रचना को, जिसमें विचार, अवधारणा तथा मनोभाव आदि एक निश्चित प्ररू‍प में समाविष्ट होते हैं, सम्पदा कहा जाता है और सम्पत्ति के रूप में संरक्षण प्रदान किया जाता है।

बौद्धिक सम्पदा की प्रकृति निम्नबिन्दुओ से समझी जा सकती है–

1. बौद्धिक सम्पदा अभौतिक, अमूर्त निगमित प्रकृति की होती है।
2. अभौतिक या अमूर्त वस्तुओं से सम्बन्धित ऐसे हित एवं अधिकार आते हैं, जिन्हे विधि मान्यता व संरक्षण प्रदान करती है।
3. बौद्धिक सम्पदा के रूप में व्यक्ति द्वारा बुद्धि, कौशल, श्रम एवं पूँजी के प्रयोग से उत्पन्न अभौतिक वस्तुओं को मान्यता प्राप्त होती है।
4. यह मनुष्य की बुद्धि के उत्पाद के रूप में मान्य होती है।
5. बौद्धिक सम्पदा में भी मूर्त सम्पत्तियों की भाँति स्वामित्व, अर्जन, ग्रहण, व्ययन और अन्तरण आदि लक्षण विद्यमान रहते हैं।
6. बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण व विनियमन के बारे में अर्न्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक व्यवस्था की गई है।

बौद्धिक सम्पदा एवं भू–सम्पदा में अन्तर

(Distinction between Intellectual Property and Landed Property)

बौद्धिक सम्पदा एवं भू सम्पदा में निम्नलिखित अन्तर हैं :

1. बौद्धिक सम्पदा, यथा–प्रतिलिप्यधिकार, पेटेण्ट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन आदि प्रकृति अमूर्त एवं अभौतिक होती है जबकि भू–सम्पदा, यथा–भूमि, भूमि एवं भवन, भू–खण्ड, पूर्ण होती है।
2. बौद्धिक सम्पदा अधिकार की अवधि बौद्धिक सम्पदा विधियों द्वारा निर्धारित की गयी होती है और अवधि समाप्त होने के पश्चात् सम्पदा सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में चली जाती है तत्पश्चात् इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जबकि भू–सम्पदा कई पीढ़ियों तक एक ही परिवार की सम्पत्ति बनी होती है।
3. बौद्धिक सम्पदा का स्वामी, रचयिता या आविष्कारक आदि, अपनी कृतियों या आविष्कारों पर कोई वास्तविक कार्य किये बिना ही आय प्राप्त करता है।
4. बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित अधिकार निजी अधिकार होते हैं जबकि भू–सम्पदा के साथ ऐसा नहीं है।

बौद्धिक सम्पदा में भी मूर्त सम्पत्तियों की भांति स्वामित्व, अर्जन, ग्रहण व्ययन और अन्तरण आदि के लक्षण विद्यमान रहते हैं और इसके संरक्षण एवं विनियमन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त वैधानिक व्यवस्था की गई है।

बौद्धिक सम्पदा के बारे में ऐसे किसी एकल जातीय शब्द का प्रयोग किया जाना सम्भव नहीं प्रतीत होता है, जिसके अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सभी विषयों को सन्तोषजनक तरीके से समाविष्ट किया जा सके। कामन लॉ के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, एवं समरूप विपणन साधनों से पृथक औद्योगिक सम्पदा का बार–बार प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, डिजाइन आदि ने बौद्धिक सम्पदा के रूप मे स्वतन्त्र रूप से अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर ली है। बौद्धिक सम्पदा या बौद्धिक सम्पदा अधिकार निरन्तर शोध एवं विचारों में मौलिकता के कारण लोकप्रिय होते जा रहे हैं और उन्हें विधि के द्वारा पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत सम्मिलित विषय–प्रतिलिप्यधिकार, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, डिजाइन आदि विधिक परिभाषा, प्रयोजन एवं क्षेत्र आदि दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं।

बौद्धिक सम्पदा का वर्गीकरण

(Classification of Intellectual Property)

बौद्धिक सम्पदा से ऐसे विधिक अधिकार अभिप्रेत हैं जो साहित्यिक, कलात्मक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में बौद्धिक क्रियाकलाप से उत्पन्न होते हैं। साधारण तौर पर क्षेत्र की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा को निम्नलिखित दो वर्गो में विभाजित किया गया है–

(1) प्रतिलिप्यधिकार और सम्बद्ध अधिकार

(Copyright and related rights)

'प्रतिलिप्यधिकार के अन्तर्गत साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक कृतियां आती हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 13 (1) अनुसार प्रतिलिप्यधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित वर्गो की कृतियों में होता है–

(क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियां,

(ख) चलचित्र फिल्म, और

(ग) ध्वन्यंकन।

'सम्बद्ध अधिकार' ऐसे अधिकार को कहा जाता है जो प्रतिलिप्यधिकार के सदृश होने के साथ–साथ प्रतिलिप्यधिकार से संबंधित होते हैं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धाराओं 37 एवं 38 के अन्तर्गत क्रमशः प्रसासरण संगठन एवं प्रस्तुतकर्ता के अधिकारों के बारे में उपबन्ध किया गया है जो सम्बद्ध अधिकार की श्रेणी में आते हैं। सम्बन्ध अधिकार प्रतिलिप्यधिकार की अपेक्षा सीमित एवं लघुतर अवधि के होते हैं।

(2) औद्योगिक सम्पदा (Industrial Property)

औद्योगिक सम्पदा के वर्ग में निम्नलिखित आते हैं :

(i) पेटेण्ट

(ii) औद्योगिक डिजाइन

(iii) व्यापार चिन्ह

(iv) भौगोलिक उपदर्शन

औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय के अनुच्छेद 1 (2) के अन्तर्गत 'अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का दमन' (repression of unfair competition) को औद्योगिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में शामिल किया गया है। कोई

प्रतिस्पर्द्धात्मक कार्य जो औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मामलों में सद्भावपूर्ण व्यवहार (honest prsctice) के प्रतिकूल होता है, अनुचित प्रतिस्पर्द्धा कहा जाता है।

इस प्रकार ''औद्योगिक सम्पदा'' पद के अन्तर्गत मुख्यतः आविष्कार एवं औद्योगिक डिजाइन आते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापार चिन्ह, सेवा चिन्ह, वाणिज्यिक नाम और पदनाम (designation) जिसमें उद्गम सम्बन्धी उपदर्शन (indication of source) और उत्पत्ति का अभिधान (appellation of origin) तथा अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के विरूद्ध संरक्षण को भी औद्योगिक सम्पदा की विषयवस्तु के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

(Intellectual Property Right IPR)

सर्वप्रथम बौद्धिक संपदा को 5वीं सदी में ग्रीस में किताबों को खरीदने अथवा बेचने अर्थात् व्यवसाय करने के उपयोग में लाया गया था। उसके बाद 15वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड व यूरोप में ज्ञान तथा विचार आदि को संपदा का अधिकार प्रदान करने का सिद्धांत आया था। प्रिटिंग प्रेस के आविष्कार ने सभी कार्यों की प्रतिलिपि को बनाना आसान कर दिया। तब से किसी व्यक्ति विशेष के कलात्मक उत्पाकता एवं अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक अधिकार कानून की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि वर्तमान में बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में जानी जाती है।

व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन कि परिपेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक सम्पदा अधिकार कहलाते हैं। वस्तुतः ऐसा समझा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन जैसे– सहित्य कृति की रचना, शोध, अविष्कार आदि करता है तो सर्वप्रथम इस पर उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए ही दिया जाता है इसलिए इसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है।

बौद्धिक संपदा से अभिप्राय है नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन। बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रदान किये जाने का यह अर्थ नही निकाला जाना चाहिए कि अमुक बौद्धिक सृजन पर केवल और केवल उसके सृजनकर्ता का ही सदा–सर्वदा के लिए अधिकार हो जाएगा।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकार एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मददे नजर दिये जाते हैं।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार दिये जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया है कि क्षेत्र विशेष के लिए उसके संगत अधिकारो एवं सम्बन्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की विशिष्ट प्रकृति होने के कारण इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर पृथक् विधान द्वारा मान्यता व संरक्षण प्राप्त है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 27(2) के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पाद के जिसका कि वह सृष्टा है, परिणामस्वरूप नैतिक तथा भौतिक हितों के सम्बन्ध में उसे संरक्षण प्रदान करे।

अमेरिका संविधान के अनुच्छे 1 धारा 8 के अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण प्रदान किए जाने के बारे में विशेष प्रावधान है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 49 में पेटेन्ट, आविष्कार और डिजाइन प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह और पष्यवस्तु चिन्ह के बारे में स्पष्ट उल्लेख है। जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि का अधिनियमन किया गया, जैसे प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957, पेटेन्ट अधिनियम 1970, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 डिजाइन अधिनियम, 2000 आदि।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) के अभिसमय के अनुच्छे 2(vii) के अनुसार निम्नलिखित अधिकार बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित हैं–

(i) साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ,

(ii) वैज्ञानिक खोजें,

(iii) अभिनय कलाकार, फोन तारों और प्रसारणों का प्रस्तुतीकरण,

(iv) मानवीय प्रयास के सभी क्षेत्रों में आविष्कार.

(vi) ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, वाणिज्यिक नाम व पता,

(vii) अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के विरूद्ध संरक्षण

विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने तथा बाजार व्यवस्था में एकाधिकार स्थापित करने की दृष्टि से मौलिक विचारों, नवीन आविष्कारों, व्यवहार ज्ञान, गोपनीय जानकारी आदि का वाणिज्यिक दोहन करने के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के महत्व में वृद्धि की है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रकृति

(Nature of Intellectual Property Rights)

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रकृति प्राथमिक तौर पर नकारात्मक होती है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके आधार पर बौद्धिक सम्पदा के स्वामी के अतिरिक्त अन्य के द्वारा बौद्धिक सम्पदा का अनधिकृत प्रयोग या उपयोग करना निवारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कृति के पुनरूत्पादन, प्रकाशन या विक्रय को साहित्यिक चोरी, जालसाजी या नकल समझा जाता है और विधि द्वारा इसका निषेध किया गया है। पेटेन्ट की दशा में बौद्धिक सम्पदा पेटेन्टीकृत आविष्कार के उपयोग के बारे में पेटेन्टी को प्राप्त अनन्य अधिकार का उपयोग भी उसकी सम्मति के बिना नहीं किया जा सकता है। पेटेन्ट से सम्बन्धित एकाधिकार की प्राप्ति, पेटेन्ट के लिए अपेक्षित शर्ते, पेटेन्ट की अवधि, पेटेन्ट अधिकार का अन्य को समनुदेशन या अनुज्ञप्ति, अतिलंघन एवं उपचार आदि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 द्वारा विनियमित होते हैं। पेटेन्ट की अवधि बीत जाने के पश्चात् सम्पदा सार्वजनिक हो जाती है और किसी भी व्यक्ति द्वारा पेटेन्टीकृत आविष्कार का उपयोग किया जा सकता है।

ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण द्वारा प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत चिन्ह (mark) का उपयोग उन्हीं वास्तविक माल या सेवाओं तक सीमित रहता है, जिसके लिऐ उसे रजिस्ट्रीकृत किया जाता है। रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क के स्वामी को प्राप्त अनन्रू अधिकार न सिर्फ अन्य को चिन्ह का उपयोग करने से रोकता है, बल्कि यदि कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकृत चिन्ह से इतना अधिक मिलता–जुलता है कि उससे ग्राहकों या उपभोक्ताओं के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न होता है तो रजिस्ट्रीकृत ट्रेडमार्क का स्वामी ऐसे माल या सेवाओं को बाजार में आने से प्रतिबन्धित कर सकता है।

बौद्धिक सम्पदा विधि अन्य की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करती है, इस कथन में अनेक निहितार्थ हैं। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के स्वामी को अपने माल या सेवाओं के लिये बाजार का उपयोग करने के लिये अधिकार की आवश्यकता नहीं होती है। आविष्कारक द्वारा अपने आविष्कार का उपयोग करने के लिये पेटेन्ट पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। विधि अन्य व्यक्तियों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों या लोकदायित्वों का अतिक्रमण करने की स्वतन्त्रता नहीं देती है। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रीकृत हो जाना अवैध और घटिया माल के विज्ञापन को औचित्य नहीं प्रदान करता है और न ही बौद्धिक सम्पदा के स्वामी के उत्पादों को व्यापार जगत में कोई विशेष स्थिति ही प्रदान करता है।

विधि द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में कुछ सकारात्मक अधिकार भी सम्मिलित किये गये हैं जैसे–अधिनियम द्वारा अपेक्षित शर्तो का पालन किये जाने पर प्रतिलिप्यधिकार को समनुदेशित या अनुज्ञापित करने का अधिकार, पेटेन्ट प्राप्त करने का अधिकार, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण का अधिकार तथा अतिलंघन की स्थिति में उपचार प्राप्त करने का अधिकार आदि।

प्रतिलिप्यधिकार के अतिरिक्त अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकार राज्यक्षेत्रीय अधिकार हैं। यह बर्न अभिसमय के सभी सदस्यों को तत्काल उपलब्ध हो जाता है। इस अर्थ में इसकी प्रकृति वैश्विक है। प्रतिलिप्यधिकार और व्यवहार रहस्य (trade secret) के अतिरिक्त प्रवृत्त रहने के लिए अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का बौद्धिक सम्पदा स्वामियों द्वारा समय–समय पर नवीकरण कराना आवश्यक होता है। व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शन (Geograghical Indications) के अतिरिक्त अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की अवधि निश्चित है। व्यापार चिन्ह की अवधि अनिश्चित होती है लेकिन इसका विहित शुल्क का भुगतान करते हुये विधि में विनिर्दिष्ट समय के पश्चात् नवीकरण कराया जाता है। व्यापार रहस्य भी अनिश्चित समय के लिए होते हैं लेकिन इसका नवीकरण आवश्यक नहीं है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का अन्य सम्पत्तियों की तरह समनुदेशन हो सकता है, इन्हें दान में दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है और अनुज्ञप्त किया जा सकता है। चल और अचल सम्पत्ति से भिन्न इन अधिकारों को एक ही समय कई राष्ट्रों में धारित किया जा सकता है।

भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित विधियाँ

Laws releted to Intellectual Property right in India

विकसित राष्ट्रों की भाँति भारत में भी बौद्धिक सम्पदा को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करते हुए विभिन्न अधिनियमें को पारित किया गया है, चूँकि भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) का सदस्य है और गैट (GATT-General Agreement on Tarrifs and Trade) तथा ट्रिप्स (Agreement on Trade Relaed Aspects and Intellectual Property Rights) पर भी हस्ताक्षरकर्ता है।

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 (1999 में संसोधित)
2. व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1970
3. पेटेन्ट अधिनियम, 1970
4. माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999
5. रूपांकन अधिनियम, 2000
6. पौधा किस्में कृषकों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001
7. अर्ध संवाहक समाकलित परिपथ अभिन्यास डिजाइन अधिनियम, 2000
8. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

बौद्धिक सम्पदा विधियाँ कुछ निश्चित आधारभूत संकल्पनाओं पर आधारित हैं यद्यपि प्रतिलिप्याधिकार विधि मौलिक, साहित्यिक, नाट्य संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों, चलचित्र फिल्म और ध्वन्यंकन तथा कम्प्यूटर प्रोग्राम आदि से सम्बत्धित है।

व्यापार चिन्ह अर्थात् ट्रेडमार्क किसी विशिष्ट माल या सेवाओं को व्यक्त करने वाले शब्द, चिन्ह, नाम, साधन या रूप–सज्जा से सम्बन्धित होता है। जो माल के विनिर्माण के स्रोत या माल या सेवाओं के व्यापारिक उद्गम की पहचान कराते हैं, इसके अन्तर्गत किसी उत्पाद से पृथक् किया जाना सम्मिलित है।

पेटेन्ट विधि का सम्बन्ध नवीन उत्पादों या उत्पाद की विनिर्माण प्रकिया से है, पेटेन्ट आविष्कार को संरक्षित करने वाला विशिष्ट अधिकार है।

भौगोलिक उपदर्शन का उपयोग उन वस्तुओं के सम्बन्ध में किया जाता है, जो अपने अद्गम स्थल के कारण कुछ खास विशेषता या गुणवत्ता रखती है। ऐसी वस्तुओं की पहचान कृषि वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं अथवा निर्माण वस्तुओं के रूप में की जाती है। जिनकी गुणवत्ता, ख्याती अथवा अन्य विशेषताओं को प्रत्यक्षतः उसके भौगोलिक स्थान से जोड़ा जा सकता है।

डिजाइन विधि के अन्तर्गत किसी उत्पाद के बाह्म लक्षण आते हैं। डिजाइन द्वि–आयामी या त्रि–आयामी लक्षण अर्थात् आकार, पैटर्न, आभूषण, रेखा, रंग या इनका मिला–जुला रूप हो सकते हैं। इनका उपयोग औद्योगिक अथवा हस्तशिल्प उत्पादों के बाजार को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

अर्धसंवाहक समाकलित परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधि में किसी अर्थसंवाहक समाकलित परिपथ, अवयव, किसी ट्रांजिस्टर, जो तारों के माध्यम से एक–दूसरे से जुड़े होते हैं, जिन्हें कि अर्धसंवाहक समाकलित परिपथ कहा जाता है, इसकी डिजाइन को बौद्धिक सम्पदा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

पौधे किस्में एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत नई पौधे की नई किस्मों को संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन संरक्षित किस्म के ब्रॉंडेड बीजों का विक्रय निषेध है।

इसी प्रकार सुचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 को अधिनियमित कर सुचना प्रौधोगिकी को भी बौद्धिक सम्पदा में शामिल किया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के अतिलंघन

The infringment of Intellectual Property Rights

(i) बौद्धिक संपदा और बौद्धिक सम्पदा अधिकार विधि द्वारा सृजित है, जब बौद्धिक सम्पदा को विधि द्वारा मान्यता ओर अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो अधिकारों के अतिलंघन की दशा में इनके संरक्षण के लिए विभिन्न अधिनियमों द्वारा अधिकारों के अतिलंघन के विरूद्ध अधिकारों का प्रवर्तन जिला न्यायालय या अच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

(ii) प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन की दशा में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 55 के तहत प्रतिलिप्याधिकारी स्वामी को प्यावेश, क्षतिपूर्ति या लाभ–लेखा का सिविल उपचार प्राप्त है।

(iii) दाण्डिक उपचारों में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत अतिलंघनकारी को कारावास और अर्थदण्ड या दोंनों से दण्डित किया जा सकता है। तथा अधिनियम की धारा 64 के तहत कृति की अतिलंघनकारी प्रतियों का अभिगृहण भी किया जा सकता है।

(iv) पेटेन्ट के अतिलंघन की दशा में पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 108 के तहत पेटेन्ट का अपयोग करने से निवारित करने हेतु वयादेश क्षतिपूर्ति या लाभ लेखा का सिविल उपचार प्राप्त है।

(v) दांण्डिक उपचारों में पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 118–124 तक में अतिलंघनकारी को कारावास, या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय होने का प्रावधान है।

(vi) इसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अतिलंघन की दशा में वयापार चिन्ह अधिनियम, 1999 में रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अतिलंघनकारी के वियद्ध व्यादेश, क्षतिपूर्ति या लाभ–लेखा और अतिलंघनकारी वस्तुओं के विलोपन व विनाश के लिए परिदान किए जाने का उपचार प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त दाण्डिक कार्यवाहियों के तहत अतिलंघनकारी को कारावास या अर्थदण्ड या दोनों से दण्डनीय का प्रावधान है।

बौद्धिक संपदा का वाणिज्यिक उपयोग

Commorcial exploitation of Intellectual Property

बौद्धिक संपदा किसी भी राष्ट्र का अर्थ व्यवस्था के विकास, संवर्धन, और संरक्षण के लिए मूल्यवान तत्व के रूप में उभर कर सामने आई है। चूँकि राष्ट्र का सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास एवं आर्थिक भविष्य नवींन विचार और ज्ञान के उपयोग पर

निर्भर रहने लगा है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की बौद्धिक सम्पदा से जहाँ एक ओर रचयिताओं, अविष्कारों, विनिर्माताओं आदि को स्वयं की सृजनात्मकता और आविष्कार शील सामर्थ्य के बारे में सुखद अनुभूति होती है, वहीं इनके वाणिज्यिक तौर पर किये जाने वाले उपयोगों से उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

विभिन्न प्रकार की बौद्धिक सम्पदा का कई प्रकार से वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। प्रतिलिप्याधिकार कृति का उपयोग न सिर्फ प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को आर्थिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त होता है, जो इनका वाणिज्यिक स्तर पर प्रकाशन, संसूचना, अनुकूलन एवं भाषान्तर करते हुए उपयोग, विक्रय या वितरण करते है।

पेटेन्ट की दशा में पेटेन्टी अपने आविष्कार का स्वयं वाणिज्यिक उपयोग कर सकता है, या अपने एकाधिकार को स्वामित्व के बदले अन्य को इस बारे में काम करने के लिए समनुदेशित या अनुज्ञापित कर सकता है। पेटेन्ट अधिकार न सिर्फ अनुकारकों (Imitatcars) बल्कि अन्य स्वतन्त्र आविष्कार को भी पेटेन्ट की अवधि के दौरान कुछ दशाओं को छोड़कर, आविष्कार का उपयोग करने से निवारित करता है और यही तथ्य पेटेन्टीकृत आविष्कार की वाणिज्यिक उपयोगिता में वृद्धि कर देता है।

बौद्धिक सम्पदा के रूप में व्यापार चिन्ह का वाणिज्यिक और व्यापारिक उपयोग किसी उत्पाद और सेवाओं तथा उसके विनिर्माता या प्रदाता की पहचान स्थापित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाजार की अर्थव्यवस्था में माल या सेवाओं की व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा से उत्पन्न गुणवत्ता रहित या नकली सामानों को खरीदने से ग्राहक बच जाता है।

इसी प्रकार अन्य बौद्धिक सम्पदा की भाँति डिजाइन का भी वाणिज्यिक महत्व होता है, डिजाइन का प्रयोग उत्पाद को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। अतः बौद्धिक सम्पदा का आर्थिक महत्व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण है।

बौद्धिक अधिकार के संरक्षण में भारत को स्थिति–

वैश्विक बौद्धिक संपदा रचकांक 2020 में भारत 38.46% के स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2019 में 36.04ः के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36 वें स्थान पर था। सूचकांक में शामिल दो नये देशों ग्रीस, और डोमिनिकन गणराज्य का स्कोर भारत से अच्छा है। गौरतलभ है कि फिलीपीन्स और उक्रेन जैसे देश भी भारत से आगे हैं। हालाकिं धीमी गति से ही सही भारत द्वारा किसी भी देश की तुलना में अपनी रैंकिग में समग्र वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में इन वृद्धि को बनाये रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे भारत में इन वृद्धि को बनाये रखने के लिए भारत को अपने समग्र बौद्धिक संपदा ढांचे में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में अभी भी काम करने की आवश्यकता है इतना ही नहीं मजबूत बौद्धिक संपदा मानको को लागू करने के लिए गंभीर कदम उठाये जाने की जरूरत है। संयूक्त राष्ट्र संघ की औद्यौगिक विकास संस्था ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यवस्थित है वहाँ की आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अतः यहाँ सुधार की नितॉत आवश्यकता है।

बौद्धिक सम्पदा का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप

(International Character of Intellectual Property)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार एवं परिवहन के क्षेत्रों में तीव्रतर विकास ने व्यापार और वाणिज्य के भूमण्डलीकरण को महत्वपूर्ण गति प्रदान की है। जिस प्रकार पानवीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है उसी प्रकार बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में भी विकास तथा प्रचार–प्रसार हो रहा है। बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रतिलिप्यधिकार एवं समीपवर्ती अधिकार और औद्योगिक सम्पदा जिसके अंतर्गत पेटेन्ट व्यापार चिह्न, औद्योगिक डिजाइन आदि ही आते थे लेकिन वर्तमान में जैव विविधता संरक्षण, अनुचित प्रतिस्पर्धा का निवारण, गुडविल, ख्याति व्यापार मूल्य, व्यापारिक रहस्य, अनुचित कारबार आदि विषय इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। बौद्धिक सम्पदा का क्षेत्र विस्तृत होने के साथ ही इसके दुरूपयोग के अवसरों में भी वृद्धि होती चली गई।

बीसवीं शताब्दी के मध्य के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा ने बाजार–व्यवस्था को बल प्रदान किया और बाजार से जुड़े लोगों ने अधिकाधिक लाभ अर्जित करने को लक्ष्य बनाया। इसके लिये आवश्यक था कि अपने को नवीन परिवर्तनों से सम्बद्ध रखा जाए। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद की, जिन लोगों ने नवीन आविष्कारों, तकनीकी व्यवहार–ज्ञान और विपणन जानकारियों को असीमित वाणिज्यिक प्रत्यागमों को प्राप्त करने के लिये सफलतापूर्वक विकसित किया। विश्व में विशेषकर औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भारी संख्या में पेटेन्ट प्रदान किया जाना, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रीकरण, प्रकाशनों में वृद्धि, चलचित्र फिल्म, ध्वन्यंकन, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रसारण तथा प्रस्तुतीकरण आदि क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का निरन्तर गतिमान होना इस बात का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने जहाँ बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र को विकसित कर दिया है, वहीं पर बौद्धिक सम्पदा की चोरी, अतिलंघन और चला देना (Passing off) आदि ने वर्तमान विधिक प्रणाली को तनावग्रस्त कर दिया है और परिणामस्वरूप बौद्धिक सम्पदा के विकास के क्रम में इस सम्पदा को संरक्षित किये जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है।

वर्तमान में नवीन आविष्कार का प्रकटीकरण या प्रतिलिप्यधिकार कृति का पुनरूत्पादन या प्रकाशन विश्व में कहीं भी तीव्रतम गति से हो जाता है। इण्टरनेट पर व्यापार चिह्न का अनुचित प्रयोग प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं को भ्रम में डाल सकता है। बौद्धिक सम्पदा की चोरी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है इसलिये बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता का अनुभव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाने लगा जिसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा अभिकरणों यथा–पेरिस अभिसमय (औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के लिये), बर्न अभिसमय, (प्रतिलिप्यधिकार तथा सम्बद्धअधिकारों के संरक्षण के लिये), सार्वभौमिक प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन और ट्रिप्स के समझौते आदि द्वारा विनियम करने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

पेटेण्ट के मामले में लगभग सभी देशों में पेटेण्ट के लिये आवेदन किये जा रहे हैं। आवेदकों में विदेशी भी सम्मिलित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट प्रणाली में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है। पेरिस अभिसमय, गैट (GATT), विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन और ट्रिप्स समझौते द्वारा इस दशा में किये जा रहे प्रयास इसके उदाहरण हैं।

विभिन्न देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और ज्ञान के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा विधियां सामान्य विचारों पर आधारित होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों की इच्छा के अनुरूप बौद्धिक सम्पदा विधियों के अधिनियमन और उनमें अपेक्षित संशोधन किये जाने को बाध्यकारी बनाया गया है ताकि बौद्धिक सम्पदा को शासकीय मान्यता प्रदान करने, महत्वपूर्ण सूचनाओं को एकत्र करने की व्यवस्था करने तथा देशीय संस्कृति एवं उद्योग और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विश्व स्तर पर बहुपक्षीय संरक्षण द्वारा सरल बनाने की दृष्टि से कार्य किये जा रहे हैं। संयुक्त के ढांचे के अन्तर्गत और उससे पृथक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों, करारों, और संगठनों में बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्राष्ट्रीय चरित्र के महत्व को देखते हुये इससे सम्बन्धित अधिकारों एवं दावों पर विचार–विमर्श के लिये मंच प्रदान किया है। विशेषकर जेनेवा स्थित विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) औद्योगिक सम्पदा पर पूर्ववर्ती पेरिस अभिसमय के प्रावधानों का संरक्षण करता है। पेटेन्ट सहयोग संधि (PCT), बर्न अभिसमय और रोम अभिसमय प्रतिलिप्यधिकार और समीपवर्ती अधिकारों तथा मेड्रिड कराए ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त यूनस्को सार्वभौमिक प्रतिलिप्यधिकार अभिसमय (UCC) बर्न अभिसमय के विकल्प के तौर पर साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक कृतियाँ, जिसमें लेखन, संगीतात्मक कृति, नाट्य, चलचित्र फिल्म, चित्रकारी, उत्कीर्णन और मूर्तिकला सम्मिलित हैं, के रचंयिताओं एवं अन्य प्रतिलिप्यधिकार स्वत्वधारियों के अधिकारों को पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से संविदाकारी राज्यों को सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय करार में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। गैट (General Agreement on Tariffs and Trade) जो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ने बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अप्रैल, 1994 में युरूग्वे वार्ता की समाप्ति पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है जिसके तत्वावधान में कई अन्य बातों के साथ एक महत्वपूर्ण लिखत ट्रिप्स (Agreement on Tarde Related Aspects and Intellectual Property Rights) की व्यवस्था की गई हे। ट्रिप्स करार ने पेरिस अभिसमय के इस प्रावधान को अंगीकार किया है कि हस्ताक्षरकर्ता राज्य के नागरिकों को अन्य सभी हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में बौद्धिक सम्पदा के बारे में समान अधिकार एवं महत्व प्राप्त होगा। भारत पेरिस अभिसमय का सदस्य नहीं था, इसलिये अभिसमय के प्रावधानों को

लागू करने के दायित्वाधीन नहीं था, लेकिन ट्रिप्स करार पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं, इसलिये ''अन्य सदस्यों के नागरिकों को राष्ट्रीय व्यवहार'' सम्बन्धित प्रावधानों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें लागू करने के दायित्व के अधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय/संधियाँ और संगठन

(International Convention and Organization)

बौद्धिक सम्पदा की अवधारणा के अस्तित्व में आने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय या बहुपक्षीय स्तर पर यह अनुभव किया जाने लगा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का राष्ट्रीय या स्थानीय संरक्षण अपर्याप्त एवं अप्रभावी है और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी। पेरिस अभिसमय (1883) बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में पहला अभिसमय है, इसके पश्चात् वर्ष 1886 में बर्न अभिसमय अस्तित्व में आया।

पेरिस अभिसमय के साथ ही बौद्धिक सम्पदा की व्यवस्था को दो भागों में विभाजित कर दिया गया–(1) औद्योगिक सम्पदा, (2) प्रतिलिप्यधिकार और सम्बद्ध अधिकार। औद्योगिक सम्पदा पेरिस अभिसमय के अधिकार–क्षेत्र में और प्रतिलिप्यधिकार एवं सम्बद्ध अधिकार बर्न अभिसमय के अधिकार–क्षेत्र में समाहित हो गया। उपर्युक्त पेरिस और बर्न अभिसमयों और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के वर्गीकरण के अतिरिक्त वर्तमान में अनेक संगठनों, संधियों एवं समझौतों द्वारा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण को विनियमित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है जिसमें विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) और ट्रिप्स (TRIPS) समझौते की भूमिका महत्वपूर्ण है।

(1) पेरिस अभिसमय, 1883

(Paris Convention, 1883)

वर्ष 1880 में पेरिस में आयोजित कूटनीतिक सम्मेलन के पश्चात् औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय पर 20 मार्च, 1883 को पेरिस में ग्यारह राष्ट्रों–बेल्जियम, ब्राजील, फ्रांस, ग्वाटेमाला, इटली, नीदरलैण्ड, पुर्तगाल, एल सल्वाडोर, सर्बिया, स्पेन और स्विट्जरलैण्ड द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वर्तमान में इस अभिसमय के 175 देश सदस्य हैं। अभिसमय द्वारा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के लिये एक संघ की स्थापना की गयी जो आज भी प्रवृत्त है।

पेरिस अभिसमय सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय है जिसे औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण को सरल बनाने की दृष्टि से तैयार किया गया। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभिसमय के अन्तर्गत ''औद्योगिक सम्पदा'' पद का प्रयोग बौद्धिक सम्पदा के तौर पर नहीं किया गया है। पेरिस अभिसमय में कुल 30 अनुच्छेद हैं।

पेरिस अभिसमय के अनुच्छेद 1 (2) के अनुसार औद्योगिक सम्पदा के संरक्षण के उद्देश्य के अन्तर्गत पेटेण्ट, उपयोगिता मॉडल, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापार नाम, उद्गम सम्बन्धी उपदर्शन (indication of source) या उत्पत्ति का अभिधान (appellation of origin) और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा का दमन (repression of unfair competion) आते हैं।

(2) बर्न अभिसमय, 1886

(Berne Convention, 1886)

बर्न अभिसमय साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिये प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय हैं साहित्यिक एवं कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिये 9 सितम्बर, 1886 को बर्न, स्विट्जरलैण्ड में एक अन्तर्राष्ट्रीय यंघ की स्थापना की गयी जिसे बर्न अभिसमय के नाम से जानते हैं। यह अभ्सिमय 5 दिसम्बर 1887 को प्रवृत्त हुआ। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के

सदस्यों के लिये बर्न अभिसमय के अनुच्छेद 1 से 21 तक के सारवान् प्रावधानों का पालन किया जाना बाध्यकारी बनाया गया है।

बर्न अभिसमय स्पष्ट रूप से साहित्यिक और कलात्मक कृतियों का उल्लेख करता है लेकिन 'संरक्षित कृतियां' पद के अन्तर्गत इन्हें व्यापकता प्रदान की गयी है।

संरक्षित कृतियां (Protected works)– साहित्यिक और कलात्मक कृति में साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक क्षेत्र के सभी उत्पाद, इसकी अभिव्यक्ति का ढंग या स्वरूप कुछ भी हो, उदाहरणार्थ–पुस्तकें, पुस्तिकायें (Pamhlets) और अन्य लेख, व्याख्यान, अभिभाषण, धर्मापदेश और इसी प्रकृति की अन्य कृतियां, नाट्य या नाट्य संगीतात्मक कृतियां, नृत्यपरक कृतियां और मूक अभिनय द्वारा मनोरंजन, शब्दों के साथ या बिना शब्दों के संगीत संयोजन, चलचित्र कृति जिसके अन्तर्गत चलचित्र की के सदृश किसी प्रक्रिया से उत्पादित कोई कृति, रेखाचित्र, वास्तुकृति, मूर्ति, उत्कीर्णन और शिलामुद्रण की कृति, फोटोग्राफी या फोटोग्राफी से सदृश किसी प्रक्रिया से उत्पादित कोई कृति, अनुप्रयुक्त कला (applied art) की कृतियां, दृष्टान्त (Illustrations), मानचित्र, रेखांक, खाका (sketches) और भूगोल, स्थलाकृति (topography), वास्तुकृति या विज्ञान सम्बन्धी तीन विमाओं वाली कृतियां सम्मिलित हैं।

बर्न अभिसमय की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

1. बर्न अभिसमय हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे अन्य राष्ट्रों के रचयिताओं की कृति में प्रतिलिप्यधिकार संरक्षण को उसी प्रकार मान्यता दें जैसा कि वे अपने राष्ट्र के रचयिताओं की कृति में प्रतिलिप्यधिकार को मान्यता देते हैं।
2. हस्ताक्षरकर्ता सदस्य राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार के लिये आपस में समान बर्ताव की व्यवस्था को लागू करने के साथ सदस्य राष्ट्रों से प्रतिलिप्यधिकार के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करने की अपेक्षा की गयी है।
3. बर्न अभिसमय के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार स्वचालित होना चाहिये। औपचारिक रजिस्ट्रीकरण का निर्षध किया गया है।
4. बर्न अभिसमय उल्लेख करता है कि सभी कृतियों, फोटोग्राफी और चलचित्र फिल्म को छोड़कर, को प्रतिलिप्यधिकार रचयिता की मृत्यु के पश्चात् कम से कम 50 वर्ष तक की अवधि के लिये दिया जाना चाहिये लेकिन पक्षकार लम्बी अवधि का प्रावधान करने के लिये स्वतन्त्र है।
5. प्रतिलिप्यधिकार कृति में अन्य अधिकारों के रचयिता के लिये नैतिक अधिकार का भी प्रावधान अभिसमय के अन्तर्गत अल्लिखित है।

भारत में प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 के अधिनियमन में बर्न अम्सिमय के प्रावधानों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है।

(3) मराकेश संधि 2013

Marrakesh Treaty 2013

मराकेश संधि का उद्देश्य नेत्रहीन लोगों और प्रिंट विकलांगता वाले व्यक्तियों तक प्रकाशित कार्य को पहचाना है और इस पर 28 जून 2013 को मोरक्को के मारकेश में हस्ताक्षर किया गया था इस संधि पर 64 देशों ने हस्ताक्षर किये थे मारकेश संधि 20 देशों द्वारा अपनाये जाने के बाद ही अस्तित्व में आया।

इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक सम्पदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है।

यह अंधे, नेत्रहीनो या किसी अन्य कारण से प्रिंट को पढ़ने में असक्षम व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्य के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।

भारतीय कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम 2012 ने मारकेश संधि के साथ संधि स्थापित किया है। मारकेश संधि वर्ष 1994 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ भी जुड़ा है।

बौद्धिक संपदा के प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

Main International Organization of Intellectual Property

1. गैट–प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता

(GATT-General Ageement of Trade Tariff)

गैट (GATT)–गैट अर्थात् प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता कोई संस्था नहीं अपितु विश्व के विभिन्न देशों के बीच की एक बहुपक्षीय संधि है जिसके आधार पर विभिन्न व्यापारिक समस्याओं और अवरोधों का निराकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रतिबन्धों को कम करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुतः द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरान्त व्यापार के क्षेत्र में विश्वव्यापी अराजकता एवं अस्त–व्यस्तता पर नियन्त्रण स्थापित करना एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई थी और इसी आवश्यकता की सम्पूर्ति हेतु गैट की स्थापना की गई।

इस प्रकार 30 अक्टूबर, 1947 को जेनेवा में 23 देशों के 10 अरब डॉलर वार्षिक व्यापार वाले 45 हजार उत्पादों के मामले में समझौते को ही प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौता कहा जाता है। जो 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ। वर्तमान में 109 देश इसके सदस्य हैं। विश्व का 90 प्रतिशत व्यापार इसके माध्यम से संचालित होता है।

गैट के उद्देश्य (Objectives of GATT)–गैट का प्रमुख प्रयोजन प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कटौती एवं व्यापार के विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करके परस्पर लाभ पहुँचने वाले निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करना है–

1. सदस्य देशों के लोगों के जीवन–स्तर को ऊँचा उठाना।
2. सदस्य देशों में पूर्ण रोजगार की स्थिति लाना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना।
3. विश्व में उपलब्ध संसाधनों का विकास करना तथा उनका पूर्ण उपयोग करना।
4. उत्पादन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना।

यह एक सामान्य समझौता और व्यापारिक नीति संहिता है जिसके द्वारा सम्बन्धित देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि के उपाय करते हैं।

अतएव उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गैट के नियम निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित हैं–

1. सदस्य देशों के मध्य बिना किसी भेदभाव के व्यापार सम्पन्न किया जाना चाहिए।
2. विदेशी व्यापार में आयात–कोटे या मात्रात्मक सम्बन्धी पतिबन्धों की भर्त्सना की जाय।
3. सदस्य देशों के मध्य उत्पन्न मतभेदों, गतिरोधों को परस्पर विचार–विमर्श के द्वारा हल किया जाय।

संक्षेप में व्यापारिक प्रतिबन्धों को कम करना और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भेदभाव समाप्त करना ही गैट की नीति के मूलाधार हैं।

गैट की आधारभूत सिद्धान्त (Basic Principles of GATT)–

(1) सार्वधिक प्रिय राष्ट्र का सिद्धान्त या भेदभाव की समाप्ति–

गैट के सदस्यों की ऐसी धारणा है कि विदेशी व्यापार के विस्तार तथा उत्पादन में वृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि व्यापार में भेद के साथ अन्य देशों को मिल जाती है। परन्तु पिछले कुछ वर्षों से यह स्वीकार किया गया है विकासशील देशों को प्राप्त होने वाली रियायतें आवश्यक रूप से विकसित देशाों को प्राप्त नहीं होगी।

''सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र'' के प्रावधान के अपवादों हेतु गैट में बचाव धारा दी गई है। ''सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र के सिद्धान्त का एक अपवाद फ्रांस द्वारा अपने भूतपूर्व उपनिवेशों को दी जाने वाली विशेष रियायतों के रूप में भी है।

(2) आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध– गैट के सदस्य देशों द्वारा आयत पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगााने का निषेध है। परन्तु फिर भी निम्न तीन परिस्थितियों में कोई सदस्य प्रतिबन्ध लगा सकता है–

(अ) यदि किसी देश का भुगतान शेष काफी लम्बे समय तक प्रतिकूल चलता रहे तो उसे आयात–नियतांश का आश्रय लेने की छुट होगी। परन्तु आयात–नियतांशों अथवा कोटे का उपयोग केवल उसी सीमा तक किया जा सकता है जहाँ तक कि वे इनके द्वारा अपने सुरक्षित कोषों को बचाये रखने अथवा उसमें सम्भावित भारी कमी को रोकने में समर्थ हो सकता हैं।

(ब) विकासशील देशों को आयात–नियतांशों का उपयोग केवल गैट द्वारा निर्धारित प्रणाली के आधार पर ही करना होगा। विकासशील देश आयात–नियतांश का आश्रय उसी स्थिति में ले सकेंगे जब उनके उद्योगों को प्रशुल्क दरों के द्वारा संरक्षण देना सम्भव न हो। परन्तु यथा सम्भव इन नियतांशों का आवंटन सदस्य देशों के महत्व को उसी अनुपात में करना होगा जिसमें कि नियतांशों के न होने पर उनसे आयात किया जाता है।

(स) कृषि तथा मत्स्य आदि से सम्बद्ध वस्तुओं के लिए मात्रात्मक प्रतिबन्ध केवल उस दशा में लागू किये जायेंगे जबकि इनका देश के भीतर उत्पादन भी उसी प्रकार के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जा रहा हो।

(3) कुल मिलाकर गैट में यह मान्यता निहित है कि व्यापार पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध अनुपयुक्त है, तथा यथासम्भव प्रशुल्क दरें भी कम रहनी चाहिए। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि 'समझौते' में सम्मिलित देश मंत्रणाओं एवं वार्ताओं के द्वारा प्रचलित प्रशुल्क दरों को कम करने का प्रयास करें। विशेष तौर पर सदस्य देशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन प्रशुल्क दरों को कम करने हेतु मन्त्रणाएँ का आयोजन परस्पर सहमतति एवं सौहार्द्र के आधार पर नहीं होना चाहिए। यही नहीं, प्रशुल्क दरों में कटौती का लाभ यथासम्भव दोनों पक्षों को मिलना चाहिए।

गैट की प्रगति– वर्ष 1947 से गैट वार्ताओं के सात दौर समाप्त हो चुके हैं तथा आठवाँ दौर 1990 में समाप्त हुआ है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

(1) प्रथम सम्मेलन : जेनेवा 1947– गैट का प्रथम सम्मेलन अप्रैल–अक्टूबर, 1947 में जेनेवा में हुआ, जिसमें 23 देशों ने भाग लिया। इस बैठक में अनेक वस्तुओं पर आयात कर कम करने का निर्णय लिया गया। इस सम्मेलन के फलस्वरूप सदस्य देशों में 123 द्विपक्षीय समझौते किये।

अस्थायी स्वरूप होने पर भी गैट ने सदस्य देशों के लिए निम्न प्रकार की प्रशुल्क रियायतें प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली–

(1) कतिपय प्रशुल्क एवं प्राथमिकताओं की पूर्ण समाप्ति।

(2) कुछ प्रशुल्क दरों को विद्यमान स्तर पर सीमित कर दिया जाना।

(3) कुछ प्रशुल्क दरों में पर्याप्त कमी करना।

(4) कुछ स्थितियों में प्रशुल्क से पूर्णतः मुक्ति को यथावत् बनाये रखना।

(2) द्वितीय प्रशुल्क सम्मेलन : अन्नेसी 1949–सन् 1949 में द्वितीय सम्मेलन अन्नेसी फ्रांस में सम्पन्न हुआ जिसमें 33 देशों ने भाग लिया। इन 33 सदस्य देशों के मध्य 147 द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सम्पन्न हुए जिनके अन्तर्गत लगभग 500 से अधिक वस्तुओं पर लगाये जाने वाले तटकर को कम किया गया। यह समझौता मई 1950 से लागू हुआ।

(3) तृतीय प्रशुल्क सम्मलेन–तृतीय प्रशुल्क सम्मेलन 1950 में इंग्लैण्ड में हुआ। इस सम्मेलन में 6 नयें देशों ने भाग लिया तथाइस प्रकार गैट की सदस्य संख्या बढ़कर 39 हो गयी। इस सम्मेलन में आयात एवं निर्यात करों की छुट में इस प्रकार संशोधन किया गया कि सम्बन्धित देश तत्पर होने पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। भारत में आयात–निर्यात करों में छुट प्रदान करने समय तीन सिद्धान्तों का पालन किया गया–(1) कर सम्बन्धी छुट आन्तरिक अर्थव्यवस्था के हित में हो, (2) छुट उन वस्तुओं के सम्बन्ध में नहीं होनी चाहिए जो पहले से ही संरक्षित हों अथवा जो आगामी तीन वर्षों की अवधि में संरक्षित होने वाली हो, (3) छुट प्रदान करने से सरकारी आय में अधिक हानि न हो। इस प्रकार समझौते में भारत को अनेक वस्तुओं पर छूट प्राप्त हुई।

इस वार्ता में 147 समझौते हो सके। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल के देशों ने पर्याप्त तटकरों में कमी की। सन् 1953 में गैट से सम्बन्धित विभिन्न विवादों को हल करने के लिए एक न्यायालय के रूप में एक समिति का निर्माण किया गया।

(4) चतुर्थ प्रशुल्क सम्मेलन–सन् 1955 में यह सम्मेलन जेनेवा में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में अर्द्धविकसित देशों को आन्तरिक छुट प्रदान करने का सिद्धान्त लागू हो गया। भारत ने भी अपने नये उद्योगों के विकास एवं विस्तार हेतु कुछ विशेष सुविधाओं पर बल दिया। सन् 1958 में गैट की अन्तक्षेंत्रीय समिति की बैठक जेनेवा में हुई। इस समिति ने रोम संधि की उपलब्धियों की समीक्षा की जिसने युरोपीय साझा बाजार की स्थापना की थी। इस सम्मेलन में विश्व के विकसित देशों के लिए वर्ष में एक बार एवं अर्द्धविकसित देशों के लिए वर्ष में कम से कम दो बार गैट से विचार–विमर्श कर लेना आवश्यक कर दिया गया।

(5) पंचम प्रशुल्क सम्मेलन– पाँचवाँ सम्मेलन जेनेवा में सन् 1960–61 में हुआ। इसमें सदस्य संख्या 44 हो गई। इस सम्मेलन में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किये गये–(1) अर्द्धविकसित देशों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न देशों में बाजार की व्यवस्था करना, (2) प्राथमिक उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाना, (3) प्रशुल्क प्राथमिकताओं को शनैः शैनः समाप्त करना। इस सम्मेलन में 4,400 प्रशुल्क छुटें निश्चित हुई जिनमें ऐसी 160 वस्तुओं की छुटें भी सम्मिलित थीं जो विकासशील देशों के हित की थीं।

(6) छठा प्रशुल्क सम्मेलन– यह सम्मेलन मई, 1964 में अमेरिका में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी के प्रयासों से ही सम्भव हुआ। अतः इस सम्मेलन को केनेडी वार्ता के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 49 देशों ने भाग लिया जिनका विश्व के 75% व्यापार पर अधिकार था। (1) इस वार्ता में बहुपिक्षीय समझौंतों के स्थान पर बहुपक्षीय समझौतों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया। (2) गैट ने अपने व्यापार–विस्तार के भावी कार्यक्रम को तीन भागों में बाँटने का निश्चय किया, जिनमें प्रथम औद्योगिक पदार्थ, द्वितीय कृषिजन्य पदार्थ और तृतीय विकासशील देशों का व्यापार। इस प्रकार विकासशील देशों ने भी 50%, की प्रशुल्क रियायतें प्रदान कीं। प्रशुल्क दरों में छुट ब्रिटेन 38%, जापान 30%, कनाडा 24%, थी। इन सभी रियायतों को तत्काल न देकर 5 वर्षों के भीतर प्रभावी बनाने का निर्णय लिया।

(7) टोक्यो वार्ता– सितम्बर 1973 में गैट के सदस्य देशों के मंत्रियों का एक विशेष अधिवेशन हुआ, केनेडी वार्ता में स्वीकृत बहुपक्षीय व्यापार वार्ता सिद्धान्त पूर्णतः कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वार्ताओं को सम्पन्न करने के निमित एक वयापार वार्ता समिति बनायी गयी जिसने विशेषज्ञ, समुदायों एवं समितियों की सहायता से अप्रैल 1979 तक वार्ता को पूरा किया और अधिकांश वार्ता मुद्दों पर समझौता हो गया। उद्योग प्रधान देश जनवरी, 1980 से प्रारम्भ कर 8 वर्ष की अवधि में अनेक वस्तुओं पर आयात कर कम करने पर सहमत हो गये।

(8) आठवाँ प्रशुल्क सम्मेलन : उरूग्वे 1986

गैट वार्ता का आठवाँ चक्र उरूग्वे (अमेरिका) में सितम्बर, 1986 में प्रारम्भ हुआ। इसके मतभेदों को समाप्त करने के लिए गैट के अध्यक्ष ''आर्थर डंकल'', जो कि अमरीका निवासी एक पूँजीपति हैं, ने एक 436 पृष्ठ का प्रस्ताव 20 दिसम्बर, 1991 को ब्रूसेल्स वार्ता में पेश किया। यह प्रस्ताव आज डंकल प्रस्ताव के नाम से चर्चित है। आठवें चक्र की इस वार्ता में गैट की पारस्परिक और स्थापित सीमाओं को तोड़कर कुछ नये विषय लाये गये। गैट के प्रारम्भ से आज तक ये विषय कभी नहीं आये थे। ये चार नवीन विषय ही 'डंकल प्रस्ताव' हैं जो निम्न प्रकार से हैं–

1. कृषि क्षेत्र
2. स्वेा क्षेत्र में व्यापार
3. बौद्धिक सम्पदा अधिकार
4. व्यापार विषयक निवेश।

2. विश्व व्यापार संगठन

Word Trade Organisation

विश्व व्यापार संगठन (WTO)–विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती 'गैट' की उरूग्वे चक्र की लम्बी वार्ता (1986–93) के परिणामस्वरूप हुई थी। इसकी स्थापना के लिए उरूग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्कों के मराकश नगर में अप्रेल 1994 में गैट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे। 1 जनवरी, 1995 से इसकी विधिवत् स्थापना हो गई तथा इसने विश्व व्यापार के नियमन के लिए एक औपचारिक संगठन के रूप में गैट का स्थान ले लिया। गैट एक अनौपचारिक संगठन के रूप में ही 1984 से विश्व व्यापार का नियमन करता चला आ रहा था। गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है तथा इसकी स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि के आधार पर हुई। आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अव अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक के तुल्य ही है किन्तु मुद्रा कोष व विश्व बैंक की भाँति यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेन्सी नहीं है।

प्रशासन– विश्व व्यापार संगठन के कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद् है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जेनेवा में होती है। विश्व व्यापार संगठन में नीति निर्धारण करने हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन हैं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष पश्चात् होता है दिन–प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों को सम्पन्न करने के लिए संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी महानिदेशक होता है। सामान्य परिषद् द्वारा महानिदेशक का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है।

मुख्यालय एवं सदस्यता– अपने पूर्ववर्ती गैठ की भाँति विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। सिंगापुर में पहला मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन आरम्भ होने से पूर्व इसकी सदस्य संख्या 128 थी। जून 2000 में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 137 हो गई।

सम्बद्ध समितियाँ– (1) विवाद निवारण समिति, (2) व्यपार नीति समीक्षा समिति।

विवाद निवारण समिति का कार्य विभिन्न राष्ट्रों के विरूद्ध विश्व व्यापार नीति की समीक्षा करना है। सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीति की दो वर्ष में एक बार समीक्षा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ–वस्तु व्यापार परिषद्, सेवा व्यापार परिषद् तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी पहलुओं पर परिषद् आदि हैं।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

(Objects of World Trade Orgainsation)

(1) जीवन–स्तर में वृद्धि करना।

(2) पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में वृहत्–स्तरीय, परन्तु ठोस वृद्धि करना।

(3) वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना।

ये सभी गैट के भी उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में निम्नलिखित अतिरिक्त उद्देश्यों की भी चर्चा की जाती है–

(1) सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना।

(2) विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना।

(3) अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना।

(4) पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

(Function of World Trade Organisation)

विश्व व्यापार संगठन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है–

(1) विश्व व्यापार समझौता द्वारा बहुपक्षीय एवं बहुवचनीय समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएँ प्रदान करना।

(2) व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बन्धित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार–विमर्श हेतु एक मंच के यप में कार्य करना।

(3) व्यापार एवं प्रशुल्क से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना।

(4) व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना।

(5) वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य का भाव लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करना।

(6) विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना।

W.T.O का पहला मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन– W.T.O का पहला मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन 9 व 13 दिसम्बर, 1996 को सिंगापुर में सम्पन्न हुआ। मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन ही इस संगठन की नीतियों के निर्धारण हेतु सर्वोच्च शक्तिशाली मंच है। सम्मेलन में विचारणीय प्रमुख मुद्दों में श्रम मानकों, निवेश तथा प्रतिस्पर्धा को अन्तर्राष्ट्रीयव्यापार से जोड़ने के विषय शामिल थे। टेक्सटाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी विचारणीय मुद्दों में थे। भारत सहित विकासशील राष्ट्र श्रम मानकों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के विरोध में थे। भारत का कहना था कि श्रम मानक विश्व व्यापार संगठन की नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विषय–वस्तु है। निवेश सम्बन्धी मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने का भी भारत द्वारा विरोध किया गया।

पाँच दिन तक चले इस सम्मेलन में विकसित व विकासशील दोनों ही राष्ट्रों ने कुछ न कुछ उपलब्धियाँ हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। विकासशील राष्ट्रों के लिए सन्तोष की बात यह रही कि घोषणा–पत्र में श्रम मानकों के उल्लेख के बावजूद इसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का विषय स्वीकार किया गया तथा स्पष्ट कहा गया कि विकासशील राष्ट्रों के व्यापार को प्रतिबन्धित करने के लिए श्रम मानकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। घोषणा–पत्र में यह कहा गया है कि निवेश तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध के विवाद को 'ट्रिप्स' के तहत हल किया जायेगा। सिंगापुर सम्मेलन की एक अन्य बड़ी उपलब्धि कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सन् 2000 तक शुल्क मुक्त कर देने का एक समझौता रहा। भारत इस समझौते को सिद्धान्ततः स्वीकृति दे चुका है, किन्तु उसने इसके लागू होने की तिथि को आगे बढ़ाने की अपील की है। भारत ने फिलहाल इस समझौते में शामिल हो से इन्कार कर दिया है।

W.T.O का दूसरा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन– इस संगठन का दूसरा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन 18 व 20 मई, 1998 को जेनेवा में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 132 राष्ट्रों के वाणिज्य मन्त्रियों ने भाग लिया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व तत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रामकृष्ण हेगड़े ने किया। श्री हेगड़े ने कहा कि संरक्षणवादी उपायों से विकासशील राष्ट्रों में उत्पादित सामानों व सेवाओं के बाजार तक पहुँचने में रूकावट आती है। उरूग्वे चक्र की वार्ताओं पर अमल के मामले में स्पष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव में निर्धन राष्ट्रों को यथोचित लाभ न मिलने की बात भी उन्होंने कही।

W.T.O का तीसरा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन– 137 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन का 30 नवम्बर–3 दिसम्बर, 1999 को अमरीका में सिएटल में सम्पन्न तीसरा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन शुरू से अन्त तक विवादों के घेरे में रहा। विश्व व्यापार संगठन की विफलता के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारियों के व्यापक प्रदर्शनों के कारण इस सम्मेलन का उद्घाटन ही विधिवत् सम्पन्न न हो सका। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मानवाधिकार से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के अनेक मुद्दों के समावेश से विकसित देशों के प्रयास का अतिरिक्त बाजार पहुँच, कृषि के मामले में अमरीका विकासशील देशों से अधिक रियायतें प्राप्त करने को प्रयासरत रहा। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री मुरासोली मारन ने किया था जो विकसित राष्ट्रों की लॉबी के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहे।

W.T.O का चौथा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन– सिएटल सम्मेलन की विफलता के पश्चात् विश्व व्यापार संगठन का चौथा सम्मेलन कतर की राजधानी दोहा में सम्पन्न हुआ। दोहा में सम्मेलन आयोजित करने के कारण सरकार के नियन्त्रण के प्रति W.T.O की जनरज काउन्सिल ने 30 जनवरी, 2001 को सहमति प्रदान की। यह सम्मेलन वर्ष 2000 के अक्टूबर–नवम्बर माह में सम्पन्न हुआ।

W.T.O का पाँचवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन– विश्व व्यापार संगठन का पाँचवाँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन कैनकुन में 10 से 14 सितम्बर, 2003 में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विकसित तथा विकासशील देश खुलकर एक–दूसरे के सामने आ गये। परिणामस्वरूप सम्मेलन बेनतीजा सम्पन्न हो गया। इस सम्मेलन में कृषि पर सपझौता, निवेश, प्रतिस्पर्द्धा, व्यापार सुविधा तथा सरकारी खरीद जैसे मुद्दों पर विकसित देशों एवं विकाससशील देशों में तनातनी का माहौल रहा। भारत की अगुवाई में G–21 देशों के समूह ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका तथा यूरोपीय संघ के देशों सहित अन्य विकसित देशों पर इस बात के लिए भारी दबाव बनाया कि वे अपने कृषकों को दी जा रही आर्थिक सहायता तथा कृषि निर्यातों पर दी जा रही आर्थिक सहायता को समाप्त कर दें। साथ ही सिंगापुर मद्दों को वार्ताओं में शामिल किये जाने पर बल न दें।

3. विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन

[World Intellectual Property Organization -WIPO]

विश्व स्तर पर बौद्धिक सम्पदा संगठन स्थापित करने का विचार पेरिस अभिसमय (1883) और बर्न अभिसमय (1886) को अंगीकार किये जाने के दौरान ही आ गया था जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना करने वाले अभिसमय पर वर्ष 1967 में स्टॉकहोम में हस्ताक्षर किया गया जो वर्ष 1970 में प्रवृत्ति हुआ। यह संगठन 17 दिसम्बर, 1974 को संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया। वर्ष 1967 में स्टॉकहोम में आयोजित कूटनीतिक सम्मेलन के दौरान ही उस समय विद्यमान बहुपक्षीय सन्धियों के समस्त प्रशासतिक एवं निर्णायक खण्डों को पुनरीक्षित किया गया। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के मध्य हुये समझौते के आधार पर संगठन को संयुक्त राष्ट्र एवं इसके अंगों के सामर्थ्य के अधीन रहते हुये रचनात्मक बौद्धिक गतिविधियों के उत्थान एवं आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिये विकासशील एवं अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी अन्तरण में सार्थक भूमिका के निर्वहन के निर्वहन के लिये उत्तरदायी बनाया जाता है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिये मानव मस्तिष्क की रचनाओं, आविष्कारों, उनके प्रचार–प्रसार, उपयोग और संरक्षण को प्रोत्साहन देना है। विश्व स्तर पर रचयिताओं के नैतिक एवं आर्थिक हितों का पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने द्वारा ऐसी रचनात्मक गतिविधियों से प्राप्त होने वाले फायदों को मानव समुदाय के लिये उपलब्ध कराना है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के उद्देश्य

(Objectives of World Intellectual Property Organization)

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. विश्व स्तर पर राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग द्वारा और जहां उपयुक्त हो अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग द्वारा बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण को समर्थन देना; और
2. बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संघों के बीच प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करना।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य निम्नलिखित है–

(1) बौद्धिक सम्पदा (औद्योगिक सम्पदा और कॉपीराइट) के लिए सम्मान बढ़ाना और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिये विश्व भर में उसके लिए संरक्षण प्रदान करने व उसके उपयोग को प्रोत्साहन देना।

(2) वाइपो पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइनों और मॉडलों के बारे में अनुरोध दर्ज करने के काम में देजी लाता है।

वइपो का प्रमुख महानिदेशक कहलाता है, वर्तमान में 173 देश इस संगठन के सदस्य बन चुका है। वाइकों का मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैण्ड) में है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के कार्य

(Functions of World Intellectual Property Organization)

संगठन बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसके कार्य निम्नलिखित हैः

1. विश्व स्तर पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सफल संरक्षण को सरल बनाने के उपायों के विकास को प्रोत्साहित करना और बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों के बीच समन्वय स्थापित करना;
2. पेरिस और बर्न अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करना;
3. बौद्धिक सम्पा के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के परिणामों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना;
4. उन राष्ट्रों को, जो बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित क्षेत्रों में विधिक या तकनीकी मदद का अनुरोध करते है, सहयोग देना;
5. बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के विषय में सुचनायें एकत्र करना और उनका प्रचार–प्रसार करा, बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में अध्ययनों को कार्यान्वित करना तथा प्रोत्साहित करना और ऐसे अध्ययनों के परिणामों को प्रकाशित करना; और
6. बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिये सेवायें प्रदान करना और जहां उपयुक्त हो, बौद्धिक सम्पदा के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण के आंकड़ों को प्रकाशित करना।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की सदस्यता

(Membership of World Intellectual Property Organization)

किसी भी संघ के सदस्य राष्ट्रों के लिये विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की सदस्यता खुली हुई है। यदि कोई राष्ट्र संगठन का सदस्य नहीं है लेकिन संयुक्त राष्ट्र या उसके विशिष्ट अभिकरणों का सदस्य है या ऐसा राष्ट्र यदि विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की महासभा द्वारा आमन्त्रित किया गया है तो वह विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सदस्य राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के पक्षकार संगठन के लिये अधिकृत हैं।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) को स्थापित करने वाले अभिसमय के अनुच्छेद 2(VII) के अनुसार बौद्धिक सम्पदा में निम्नलिखित से सम्बन्धित अधिकार सम्मिलित हैं–

– साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ;

– अभिनय करने वाले कलाकारों, फोन तारों और प्रसारणों का

प्रस्तुतीकरण;

– मानवीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में अविष्कार;

– वैज्ञानिक खोज;

– औद्योगिक डिजाइन;

– ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, वाणिज्यिक नाम एवं पदनाम;

– अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के विरूद्ध संरक्षण;

– औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक

क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार वे विधिक अधिकार हैं जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित विषय वस्तु का लाभ उठाने का निषेध करना है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अधिकार

Rights of World Intellectual Property Organization

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) को स्थापित करने वाले अभिसमय के अनुच्छेद 2(VII) के अनुसार बौद्धिक सम्पदा में निम्नलिखित से सम्बन्धित अधिकार सम्मिलित हैं–

– साहित्यिक, कलात्मक एवं वैज्ञानिक कृतियाँ,

– अभिनय करने वाले कलाकारों, फोन तारों और प्रसारणों का प्रस्तुतीकरण,

– मानवीय प्रयासों के सभी क्षेत्रों में आविष्कार,

– वैज्ञानिक खोज,

– औद्योगिक डिजाइन,

– ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क, विणिज्यिक नाम एवं पदनाम,

– अनुचित प्रतिस्पर्द्धा के विरूद्ध संरक्षण, और

– औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक क्रियाशीलता से उत्पन्न होने वाले अन्य सभी अधिकार।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार वे विधिक अधिकार हैं जो मानवीय बुद्धि के उत्पादों के उपयोग को विनियमित करते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य एक निश्चित अवधि तक अधिकार स्वामी के स्पष्ट अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संरक्षित विषय वस्तु का लाभ उठाने का निषेध करना है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार लेखकों, आविष्कारकों आदि की बुद्धि जनित रचनात्मक और आविष्कारशील क्रियाकलापों को प्रोत्साहित, सवंर्धित एवं संरक्षित करता है और गुणवत्तायुक्त माल और सेवाओं के विपणन को सरल बनाते हुये उपभोक्ताओं के हितों का भी संरक्षण करता है। इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के अन्तर्गत उन विचारों, व्यवहार–ज्ञान, गोपनीय जानकारी आदि को संरक्षण प्रदान किया जाता है जो वाणिज्यिक तौर पर मूल्यवान होते हैं। विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने तथा बाजार–व्यवस्था में एकाधिकार स्थापित करने की दृष्टि से मौलिक विचारों, नवीन आविष्कारों, व्यवहार–ज्ञान गोपनीय जानकारी आदि का वाणिज्यिक दोहन करने के लिये बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के महत्व में तात्विक रूप से वृद्धि कर दी है।

ट्रिप्स समझौता (TRIPS Agreement)

TRIPS-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

ट्रिप्स समझौता विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा प्रशासित एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है जो विभिन्न वर्गों की बौद्धिक सम्पदा के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। आर्थर, डंकज जो गैट के तत्कालीन महानिदेशक थे, ने व्ययापार के साथ बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सम्बन्ध के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ट्रिप्स समझौते के बारे में वार्तायें सितम्बर, 1986 में युरूग्वे में आयोजित 'जनरल एग्रीमेण्ट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रैड' (GATT) के मन्त्रीवर्गीय सम्मेलन में शुरू हुईं। विकसित राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका ने अपना पक्ष रखते हुये बौद्धिक सम्पदा को गैट (GATT) के क्षेत्र में शामिल किये जाने का समर्थन किया जबकि विकासशील राष्ट्रों ने इसका विरोध किया। विकसित राष्ट्रों का सफलता मिली और बौद्धिक सम्पदा को गैट (वर्तमान में

विश्व व्यापार संगठन) के क्षेत्र (Regime) में सम्मिलित कर लिया गया। ट्रिप्स ने सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के वर्ग में ला दिया। औद्योगिक सम्पदा और प्रतिलिप्यधिकार एवं सम्बद्धी अधिकारों के बीच अन्तर को समाप्त कर दिया। ट्रिप्स समझौता, जो 1 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ, बौद्धिक सम्पदा पर सर्वाधिक व्यापक समझौता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा संचालित अन्तर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। 1994 में गैट (GATT – Genral Agreement of Trade and Tariff) के आंठवे चक्र (उरूगुए चक्र) के अंत में इसे तय किया गया। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किये गए कई समझौते से एक है।

ट्रिप्स सात प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता हैः

1. प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे सम्बन्धित अधिकार (कौपीराईट एवं रिलेटेड राईटस) (Copyright and Related Right)
2. ट्रेड मार्क (en:Trade Mark)
3. भौगोलिक उपदर्शन (Geographical Indication)
4. औद्योगिक डिजाईन (Industrial Design)
5. पेटेंट (en:Patents)
6. इन्टीग्रेटेड सर्किट की डिजाईन (Layout- designs (Topography) of Integrated Circuit)
7. अप्रकाशित सूचना का संरक्षण या Trade Sectet ट्रेड सीक्रेट (Protection of undisclosed Information) ट्रिप्स, डब्लू. टी. ओ. सदस्य देशों को बौद्धिक सम्पत्ति के अधिकारों के अनुपालन के लिए बाध्य करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसीलिये भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को संशोधित किया है।

ट्रिप्स समझौते की आवश्यकता

(Need of TRIPS Agreement)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रचलित विकृतियों और बाधायों को समाप्त करने या कमी लाने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुभव किया जिसके फलस्वरूप ट्रिप्स समझौता अस्तित्व में आयाः

1. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रभावी एवं पर्याप्त संरक्षण;
2. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के नये नियमों को तैयार करना;
3. व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र, उपयोग के बारे में पर्याप्त मानकों एवं सिद्धान्तों के बारे में पर्याप्त प्रावधान की आवश्यकता;
4. व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के प्रवर्तन तथा उसके बारे में सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों के निपटारे के बारे में न्यायसंगत उपायों की आवश्यकता।
5. विकासशील, अल्प विकसित तथा अविकसित राष्ट्रों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से सम्बन्धित विधियों एवं नियमों के देशीय कार्यान्वयन में अधिकाधिक लचीलापन लाना।

उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यापार संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा ट्रिप्स समझौते को स्वीकृति प्रदान की गयी।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तान, तकनीकी नवाचार (innovation) के संवर्धन, तकनीकी का अन्तरण और प्रचार–प्रसार, तकनीकी ज्ञान का उत्पादकों और प्रयोक्ताओं को लाभ पहुंचाना जो उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सहायक हो और उनके अधिकारों और दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करना ट्रिप्स समझौते के उद्देश्यों में सम्मिलित है।

ट्रिप्स समझौते के अनुसार, बौद्धिक सम्पदा के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार और सम्बद्ध अधिकार, व्यापार चिह्न, भौगोलिक उपदर्शन, औद्योगिक डिजाइन, पेटेण्ट, समेकित परिपथ, अभिन्यास डिजाइन, अप्रकटीकृत जानकारी का संरक्षण और संविदाकृत अनुज्ञप्तियों में प्रतियोगिता विरोधी व्यवहार का नियन्त्रण सम्मिलित है। इस प्रकार सभी बौद्धिक सम्पदा को एक वर्ग में रख दिया है।

ट्रिप्स समझौते में कुल सात भाग हैं।

भाग (1)– सामान्य प्रावधान और मूलभूत सिद्धान्त;

भाग 2–बौद्धिक सम्पदा अधिकारों कीउपलब्धता, क्षेत्र और उपयोग से सम्बन्धित मानक;

भाग 3–बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रवर्तन,

भाग 4– बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का अर्जन और अनुरक्षण तथा सम्बन्धित प्रक्रिया;

भाग 5–विवाद निवारण एवं निपटारा;

भाग 6–संक्रमणकालीन व्यवस्था (Transitional Agreement);

भाग 7–संस्थागत व्यवस्था (Transitional Agreement)।

ट्रिप्स समझौते में सदस्य राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गयी है कि बौद्धिक सम्पदा विधियों के अधिनियमन एवं अन्य संशोधन के दौरान लोक स्वास्थ्य और पोषण को संरक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक उपाय अंगीकार किये जाने चाहिये। सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोकहित को प्रोत्साहन देने के बारे में प्रावधान किये जाने चाहिये। परन्तु बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सभी कार्य ट्रिप्स समझौते के प्रावधानों के अनुकूल होने चाहिये।

बौद्धिक संपदा अधिकारों की विशेषताएं

Characteristics of Intellectual Property Rights

1. बौद्धिक संपदा आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना है।
2. बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों को सृजित सूचना का प्रयोग करने से रोकने अथवा उन शर्तों जिन पर इसे प्रयोग किया जा सकता है, को तय करने का वैधानिक रूप से लागू अधिकार हैं।
3. विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ट्रिप्स एक समान न्यूनतम मानकों और अवधियों का निर्धारण करता है।
4. सर्वाधिक वरीयताप्राप्त राष्ट्र के पेटेंट पर राष्ट्रीय व्यवहार करना।

बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण दिये जाने के कारण

(Reasons for Protection of Intellectual Property)

मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 27(2) के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक उत्पाद के जिसका कि वह स्पष्ट है, परिणामस्वरूप नैतिक तथा भौतिक हितों के सम्बन्ध में उसे संरक्षण प्रदान किया जाये। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, धारा 8 के अन्तर्गत बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण प्रदान किये जाने के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची I–संघ सूची) की प्रविष्टि 49 में भी पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि अधिनियमन किया गया है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पदा एवं बौद्धिक सम्पदा स्वामियों को संरक्षण प्रदान करना है। बौद्धिक सम्पदा को संरक्षण दिये जाने के कारण निम्नलिखित हैं:

1. मानवता का विकास और कल्याण प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में नवीन रचनाओं, आविष्कारों के लिये क्षमता पर निर्भर करता है जिसके लिये बौद्धिक सम्पदा स्वामियों को संरक्षण दिया जाना अनिवार्य है।
2. रचयिताओं, आविष्कारकों को उनकी रचनाओं एवं आविष्कारों से सम्बधित नैतिक एवं आर्थिक अधिकारों को वैधानिक अभिव्यक्ति प्रदान करना ताकि बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त हो सके।
3. रचनात्मकता और इसके परिणामों की उपयोगिता और प्रचार–प्रसार को समर्थन देना जिसके फलस्वरूप बौद्धिक सम्पदा के उपयोग से अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके।
4. बौद्धिक सम्पदा को विधिक संरक्षण प्रदान किये जाने से इस क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग एवं निवेश किये जाने को प्रोत्साहित करना तथा और आगे के लिए रचनाओं, आविष्कारों एवं नवाचारों (Innovations) को किये जाने की प्रेरणा देना।
5. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का प्रवर्तन एवं संरक्षण आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है। नये उद्योगों एवं नौकरियों के अवसर प्रदान करता है। मानव जीवन की गुणवत्ता और प्रसन्नता में वृद्धि करता है। एक कार्यकुशल और न्यायसंगत बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था तन्त्र से सभी राष्ट्रों के लिए बौद्धिक सम्पदा का उपयोग किया जाना आर्थिक विकास तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है।
6. एक साम्यिक (Equitable) बौद्धिक सम्पदा व्यवस्था तन्त्र से बौद्धिक सम्पदा स्वामियों के हितों तथा लोकहित में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है जिससे एक ऐसे वातावरण के निर्माण की अपेक्षा की जाती है जिससे बौद्धिक सम्पदा के समृद्ध होने के साथ लोक कल्याण की अवधारणा साकार हो सके।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016

National Intellectual Property Rights Policy 2016

एक सशक्त बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) कार्यनीति देश में आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने और उद्दीपित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा भी मई 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार

नीति को मंजूरी दे दी। इस कदम से भारत में बौद्धिक संपदा के लिए भावी रोडमैप तैयार करने में सहायता होगी। इस नीति से भारत में रचनात्मक और अभिनव ऊर्जा के भंडार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा सबके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए इस ऊर्जा का आदर्श इस्तेमाल संभव होगा।

इस नीति की विशेषताएँ :–

1. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति एक विजन दस्तावेज है, जिससे समस्त बौद्धिक संपदाओं के बीच सहयोग संभव बनाया जाएगा।
2. इसके अलावा संबंधित नियम भी तैयार किये जाएंगे। इसके जरिए कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा से संबंधित संस्थागत प्रणालियों को लामबंद करने के लिए सहायता होगी।
3. नीति से सरकार, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रमों, स्टार्ट अप और अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न किया जाएगा, ताकि वे अभिनव तथा रचनात्मक वातावरण का विकास कर सकें।
4. इस नीति के तहत इस बात पर बल दिया गया है कि भारत बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों को मानता है और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए यहां प्रशासनिक तथा न्यायिक ढांचा मौजूद है। इसके तहत दोहा विकास इजेंडा और बौद्धिक संपदा संबंधी समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं–

विजन घोषणा– भारत में सबके लाभ के लिए बौद्धिक संपदा को रचनात्मक और अभिनव आधार मिलता है। भारत में बौद्धिक संपदा से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, पारम्परिक ज्ञान और जैव विविधता संसाधनों को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में विकास के लिए ज्ञान मुख्य कारक है।

मिशन घोषणा– भारत में शक्तिशाली, जीवंत और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली से रचनात्मकता और नवाचार को सहायता मिलती है, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलता है तथा सामाजितक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके जरिए स्वास्थ्य सुविधा, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी महत्व भी इससे जुड़े हुए हैं।

लक्ष्य – इस नीति के निम्नलिखित सात लक्ष्य हैं –

1. **बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता :** पहुंच और प्रोत्साहन – समाज के सभी वर्गो में बौद्धिक संपदा अधिकारों के आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक लाभों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
2. **बौद्धिक संपदा अधिकारों का सृजन –** बौद्धिक संपदा अधिकारों के सृजन को बढ़ावा।
3. **वैधानिक एवं विधायी ढांचा –** मजबूत और प्रभावशाली बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों को अपनाना, ताकि अधिकृत व्यक्तियों तथा बृहद लोकहित के बीच संतुलन कायम हो सके।
4. **प्रशासन एवं प्रबंधन –** सेवा आधारित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाता।
5. **बौद्धिक संपदा अधिकारों का व्यवसायीकरण –** व्यवसायीकरण के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्य निर्धारण।
6. **प्रवर्तन एवं न्यायाधिकरण –** बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए प्रवर्तन एवं न्यायिक प्रणालियों को मजबूत बनाना।
7. **मानव संसाधन विकास –** मानव संसाधनों, संस्थानों की शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाना तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों में कौशल निर्माण करना।

इन लक्ष्यों को विस्तृत कार्य प्रणाली के जरिए हासिल किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की निगरानी डीआईपीपी करेगा। डीआईपीपी भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के भावी विकास, कार्यान्वयन, दिशा–निर्देश और समन्वय करने वाला नोडल विभाग होगा।

बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत में इन अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ वित्तीय और आर्थिक पक्ष भी जुड़े हुए हैं। इसके लिए घरेलू स्तर पर आईपी फाइलिंग और पेटेंट की वाणिज्यिक स्थिति के बारे में भी जानकारी आवश्यक है।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 'रचनात्मक भारत : अभिनव भारत' के लिए काम करेगी।

बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार

Type of Intellectual Property Rights

बौद्धिक संपदा अधिकारों का क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि क्षेत्र विशेष के लिये उसके संगत अधिकारों एवं सम्बद्ध नियमों आदि की व्यवस्था की जाए। इस आधार पर इन अधिकारों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(क) कॉपीराइट,

(ख) पेटेन्ट,

(ग) ट्रेडमार्क,

(घ) औद्योगिक डिजाइन,

(ड़) भौगोलिक संकेतक

(क) कॉपीराइटः (Copyright)

किसी व्यक्ति को प्राप्त वैसे अधिकार जो उसकी साहित्यिक रचना और कलात्मक कृत्यों के लिये दिये जाते हैं, कॉपीराइट कहलाते हैं। कॉपीराइट अधिकार के तहत किताबें, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा (फिल्म), संगीत, कम्प्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चि़ांकन को सम्मिलित किया जाता है।

परन्तु केवल विचार, प्रक्रियाओं, गणितीय अवधारणओं आदि को इसके दायरे में नहीं रखा जा सकता है।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 है। इस अधिनियम के अनुसार, शब्द 'कॉपीराइट' का अर्थ हैः

साहित्यिक रचना

नाट्य रचना

संगीत रचना

कलात्मक रचना

ध्वति रिकार्डिंग

इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :–

कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल में प्रकाशित किसी साहित्यिक, नाट्य, संगीत या कलात्मक रचना (फोटोग्राफ को छोड़कर) के संबंध में लेखक की मृत्यु के वर्ष से अगले कैलेण्डर वर्ष से शुरू होकर, साठ वर्ष तक जारी रहेगा।

प्रत्येक प्रसारण संगठन को इसके प्रसारणों के संबंध में ''प्रसारण निमार्ण अधिकार'' नामक एक विशेष अधिकार होगा। प्रसारण निमार्ण अधिकार प्रसारण किए जाने के वर्ष से अगले कैलेण्डर वर्ष की शुरूआत से पच्चीस वर्ष तक बना रहेगा।

कापीराइट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

उच्च न्यायालय ने कहा कि किताबों की फोटोकॉपी करने से किसी भी तरह के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता। कॉपीराइट का मतलब किसी चीज को पूरी तरह अपने अधिकार में कर लेना नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉपीराइट का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह अपने अधिकार में कर लेना नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि कॉपीराइट एक्ट ज्ञान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कानून है। इस एक्ट का मकसद ज्ञान के विस्तार में बाधा डालना कतई नहीं है।

(ख) पेटेन्ट : (Patents)

जब कोई आविष्कार होता है तब आविष्कारकर्ता को उसके लिये दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेन्ट कहलाता है। यह आविष्कार या तो किसी उत्पाद के रूप में या फिर किसी नवीन प्रक्रिया के रूप में होता है।

पेटेंट सामान्यतः दो रूपों में होता है :

1. उत्पाद पेटेंट
2. प्रक्रिया पेटेंट

एक बार पेटेन्ट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेन्ट दर्ज करने की तिथि से 20 वर्षों तक के लिये होती है

यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि किन परिस्थितियों में कोई आविष्कार पेटेन्ट योग्य माना जाएगा। वस्तुतः इसके लिये कुछ मापदंड निर्धारित किये गए हैं:

1. वह आविष्कार पूरे विश्व में कहीं भी सार्वजनिक न हुआ हो।
2. 'आविष्कार' ऐसा हाना चाहिए जो दर्शाए कि यह पहले से ही उपलब्ध किसी उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति को इंगित कर रहा है।
3. वह 'आविष्कार' व्यावहारिक अनुप्रयोग के योग्य होना चाहिए अर्थात् इसका निर्माण किया जा सके या औद्योगिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाना संभव हो।

पेटेंट संबंधी विवाद

नोवार्टिस विवाद

2013 में स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस द्वारा ग्लीवॉक नामक कैंसर रोधी दवा बनाने के पेटेंट अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गई। परन्तु कोर्ट ने इसे अस्वीकृत कर दिया।

भारत सरकार का यह कहना था कि इस दवा बनाने में कंपनी ने कोई नया तत्व इजाद नहीं किया और पहले से बनी दवा ग्लीवॉक में मात्र कुछ परिवर्तन किए हैं। नोवार्टिस द्वारा किये गए इस कार्य को एवरग्रीनिंग समझा गया। इसलिये भारत में इसे पेटेंट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ग) ट्रेड मार्कः– (Trade Mark)

एक ऐसा चिन्ह जिससे किसी एक उद्यम की वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे उद्यम से पृथक किया जा सके, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेडमार्क एक शब्द या शब्दों के समूह, अक्षरों या संख्याओं के समूह के रूप में हो सकता है। यह चित्र, चिन्ह, त्रिविमीय चिन्ह, श्रव्य चिन्ह जैसी संगीतमय ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकता है।

भारत में ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 एवं संबद्ध नियमों के प्रावधानों के तहत ट्रेडमार्क का संरक्षण किया जाता है।

ट्रेड सीक्रेट्स (व्यापार गुप्तियाँ) :

WIPO के अनुसार मोटे तौर पर, किसी भी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जो एक उद्यम को प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करती है, उसे व्यापारिक रहस्य माना जा सकता है। व्यापारिक रहस्य विनिर्माण या औद्योगिक रहस्य और वाणिज्यिक रहस्य शामिल हैं।

(घ) औद्योगिक डिजाइन : (Industrial Design)

इससे अभिप्राय है– किसी वस्तु को आलंकारिक या कलात्मक रूप प्रदान किया जाना। एक औद्योगिक डिजाइन के तहत त्रिविमीय विशेषताएँ हो सकती हैं जैसे किसी वस्तु की आकार संबंधी विशेषता, या फिर द्विविमीय विशेषता हो सकती है जैसे वस्तु के प्रारूप (Pattern) या वर्ण संबंधी विशेषता।

(ड़) भौगोलिक संकेतक : Geographical Indication

भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिन्ह से है। इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस मूल स्थान से सम्बद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है।

विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय (Spirit drinks), हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया जाता है। तिरूपति (आंध्रप्रदेश) के लड्डू, काश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण हैं।

भारत और अमेरिका के बीच पेटेंट संबंधी विवाद

अमेरिका द्वारा अकसर भारत पर बौद्धिक संपदा अधिकार नियम को लेकर उंगुली उठाये जाते रहे। जिसमें अमेरिका ने कई बार जालसाजी, पायरेसी एवं दवाओं जैसे मुद्दों पर भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार नियमों के प्रावधानों में कमजोरी का आरोप लगाते हुए अपनी चिंता जताई है।

अनिवार्य लाइसेंस (Compulsory License):

इससे अभिप्राय है कि पेटेंट या कॉपीराइट धारक भुगतान के जरिए अपने इन अधिकारों के उपयोग का लाइसेंस दे सकते हैं। अमेरिका द्वारा आईपीआर रेजिम को लेकर भारत की खराब छवि बनाने की कोशिश को धता बताने के लिए यह आंकड़े काफी हैं। 1995 से 2012 के बीच नौ फर्मों को 1500 फार्मास्यूटिकल कंपाउंड या कम्पोजिशन पेटेंट की अनुमति दी जा चुकी है।